<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 75/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/274

1. श्री उदा पुत्र मोड़ा मेघवाल निवासी मोरड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. रामा पुत्र मोड़ा मेघवाल निवासी मोरड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर। ....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मांगीलाल पुत्र मोती मेघवाल निवासी मोरड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०) ....विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 11.06.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा मोरडी पटवार हल्का बड़ियार तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1065 रकबा 1.0522 हैक्टेयर भूमि वर्तमान रेकर्ड में प्रार्थीगण प्रत्येक के नाम पर 1/2–1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित है। मुझ प्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण–पूर्वी दिशा का पड़ौसी खातेदार विपक्षी संख्या 1 है। विपक्षी संख्या 1 से सीमा का लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए हम प्रार्थीगण हमारी कृषि भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहता हूं। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश फरमाया जावे कि उक्त वर्णित भूमि की पूर्वी–दक्षिणी दिशा की सीमा का सीमांकन कराया जाकर स्थायी पत्थरगड़ी कराई जावे तथा विपक्षी संख्या 1 को पाबंद किया जावे कि वो हमारी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, नुकसान नही पहुंचावे और हमारी कृषि भूमि का हम प्रार्थीगण व हमारे परिवारजनो को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नही करे, किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावें। साथ ही हमारी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी हम प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 1 से दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावें।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 उपस्थित होकर पत्थरगड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया। विपक्षी संख्या 2 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:51 IST
Reason: SelfAttested

मोरडी पटवार हल्का बडियार तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 196 पर दर्ज आराजी नम्बर 1065 रकबा 1.0522 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य सीमा संबंधि विवाद नही रहेगा। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष में अंकित किया है कि उक्त भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का पाया जाता है तो कब्जा भी दिलवाया जावे। इस संबंध में विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। जिसमें केवल मात्र पत्थरगड़ी करने के आदेश दिए जा सकते है। कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

4. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा मोरडी पटवार हल्का बडियार तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 196 पर दर्ज आराजी नम्बर 1065 रकबा 1.0522 हैक्टेयर भूमि की पूर्वी–दक्षिणी दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। यदि उक्त भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का पाया जाता है तो इसके लिए प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में कब्जा प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:51 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर